

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— हानु गुडिया बगैरह।

वाद सं० 29/2021

बनाम

द्वितीय पक्ष— सीता देवी बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/10/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 09/2021 दिनांक 21/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) हानु गुडिया पिता स्व० जोहन गुडिया (2) सुनीता गुडिया उम्र 30 वर्ष पति हानु गुडिया दोनों ग्राम कुरुम ईटाम थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) सीता देवी उम्र 45 वर्ष पति स्व० पंचु साहु (2) मुनीता कुमारी उम्र 21 वर्ष पिता स्व० पंचु साहु (3) अशोक साहु उम्र 35 वर्ष दोनों पिता गंदुर साहु (4) अयोध्या साहु उम्र 35 वर्ष पिता गंदुर साहु चारो ग्राम कुरुम ईटाम थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा कुरुम खाता सं० 41 प्लॉट सं० 1488 रकबा 1.83 एकड़ भूमि में से 0.15 एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	